तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 261/2025 अनवान लाली बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.01.2026	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीया लाली पत्नी रतनलाल जाति जाट निवासी मकान संख्या 5 देवासी नगर नान्दड़ी जोधपुर के ग्राम भाकरासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा संख्या 304/154 की कुल रकबा 0.1052 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थीनी द्वारा बीदामी देवी पत्नी गोपालराम से दिनांक 23.07.2024 को खरीद की गई लेकिन उक्त कृषि भूमि खरीद करने के समय ऑनलाईन म्यूटेशन की प्रकिया के दौरान प्रार्थीनी का नाम लाली पत्नी रतनलाल के स्थान पर लाली चेला रतनलाल दर्ज हो गया। प्रार्थीनी का नाम लाली चेला रतनलाल के स्थान पर लाली पत्नी रतनलाल दर्ज करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर के पत्रांक/भू.अ./2025/4055 दिनांक 15.12.2025 के जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में बताया कि ग्राम भाकरासनी के खसरा नं. 304/154 रकबा 0.1052 हैक्टेयर में लाली चेला रतनलाल हिस्सा पूर्ण दर्ज है। उक्त खातेदार का नाम रेकर्ड में इन्द्राज वर्तमान जमाबंदी में नामा. सं. 1411 स्वतः स्वीकृत बैचान (रजि.न. 202403544102202) के आधार पर दर्ज हुआ। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत बैचान विलेख अनुसार क्रेता लाली पत्नी रतनलाल जाति जाट दर्ज है। चेला के स्थान पर पत्नी दर्ज करना उचित बताया। उपरोक्त विवेचन तथा तहसीलदार लूणी की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के आधार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है। कि ग्राम भाकरासनी के खसरा नं. 304/154 रकबा 0.1052 हैक्टेयर में लाली चेला रतनलाल के स्थान पर लाली पत्नी रतनलाल राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	